

12-12-2022

FORM NO. 111

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तेजसिंह पुत्र नन्दसिंह वगैरे


वनाम

उम्मेदसिंह पुत्र नन्दसिंह वगैरे
मुकदमा नम्बर- 114/2022

किर्या मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की सालीम में
जाती हुवे

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की सालीम में जाती हुवे
12.12.2022	<p>प्राथी तमील श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 23.10.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खराश नम्बरान से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फौसल किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

